Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

फरवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश का चौथा कार्यवाहक DGP 3
- YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण सुविधा का विस्तार करेगा 3
- उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिये अलर्ट है 4
- रूस में भारतीय दूतावास में घुसपैठ करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार 4
- यूपी बजट 2024-25: मुख्य बिंदु और प्रमुख घोषणाएँ 5
- उत्तर प्रदेश बजट: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपय आवंटित 6
- लखनऊ को 1500 एकड़ की एयरोसिटी मिलेगी 6
- यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे 7
- यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ सबसे ज़्यादा 7
- यूपी के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन 8
- उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ 8
- उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया 9
- उत्तर प्रदेश में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव 9
- UPDIC रक्षा उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाना 10
- उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान 10
- हरित उद्योग आधार 11
- प्रधानमंत्री कल्कि धाम मंदिर की नींव रखेंगे 13
- पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना 13
- उत्तर प्रदेश ने ESMA लागू किया 14
- यूपी को वर्ष 2000-17 की तुलना में 2019-23 में चार गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ 14
- आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया 16
- उत्तर प्रदेश में किसानों की मांगों पर विचार करने हेतु समिति का गठन 16
- उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिये CSR फंड का उपयोग करेगा 16
- उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होंगे 17

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का चौथा कार्यवाहक DGP

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार को कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया।

मुख्य बिंदु:

- प्रशांत कुमार वर्ष 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, जिनके पास कानून एवं व्यवस्था और मेरठ ज़ोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
- वह DG (कानून व्यवस्था) और DG (आर्थिक अपराध शाखा) का पद भी संभालेंगे। यदि किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाता है, तो उनके मई 2025 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्यवाहक DGP के रूप में बने रहने की संभावना है।
- अपराध और माफिया के खिलाफ राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने के पीछे उन्हें मुख्य व्यक्ति माना जाता था।

YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण सुविधा का विस्तार करेगा

चर्चा में क्यों ?

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है, जो कैंसर देखभाल के लिये गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

मुख्य बिंदु:

- इन प्रयासों में पार्क को उन्नत चिकित्सा उपकरणों से लैस करना शामिल है जिसमें कैंसर देखभाल और रेडियोलॉजी, इमेजिंग तकनीक, एनेस्थेटिक्स, कार्डियोरेस्पिरेटरी उपकरण, साथ ही पेसमेकर तथा कॉकलियर इम्प्लांट से जुड़े उपकरण शामिल हैं।
- ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला मेडिकल डिवाइस पार्क नवाचार का प्रतीक बनने के लिये तैयार है।
- मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रयोगशालाएँ और केंद्र सुविधाएँ होंगी, जो एक केंद्रीकृत स्थान पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को सुव्यवस्थित करेंगी।
  - इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य विनिर्माण लागत को कम करना, चिकित्सा उपकरणों के उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- इस पहल को उत्प्रेरित करने के लिये, राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के भीतर सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिये एकमुश्त अनुदान सहायता प्रस्तुत करने वाली एक योजना शुरू की है।
- इस पार्क को कैंसर देखभाल, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एनेस्थेटिक्स, कार्डियोरेस्पिरेटरी सपोर्ट, पेसमेकर और कॉकलियर इम्प्लांट के लिये समर्पित अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)

- इसे UP औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत दिल्ली से सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिये बनाया गया है, जो अगर योजनाबद्ध नहीं होते, तो अनधिकृत शहरी विकास का खतरा होता।
- YEIDA द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएँ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांज़िट हैं।
  - YEIDA आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिश्रित भूमि उपयोग उद्देश्यों के लिये भूखंडों के आवंटन के हेतु विभिन्न योजनाएँ भी प्रदान करता है।

नोट :

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिये अलर्ट है

चर्चा में क्यों?

आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिये एक सक्रिय उपाय में, उत्तर प्रदेश सरकार रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला लागू कर रही है।

- सरकार पहले से ही हाई अलर्ट पर है और आग से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिये राज्य भर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक 'वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह' चला रही है।

मुख्य बिंदु:

- निगरानी और नियंत्रण प्रयासों को मज़बूत करने के लिये, लखनऊ में विभाग प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में एक समर्पित अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
  - मुख्य वन संरक्षक (प्रचार) को राज्य मुख्यालय सेल के लिये नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो सरकार को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वनाग्नि की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्टिंग के लिये ज़िम्मेदार है।
  - संभागीय स्तर पर, सरकार ने चौबीसों घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनिवार्य कर दी है।
  - तीन-शिफ्ट कर्मचारियों की तैनाती के साथ 24/7 संचालन करते हुए, ये नियंत्रण कक्ष विभिन्न श्रेणियों में जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे घटना का पता चलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
    - वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मुख्य वन संरक्षक को भी प्रासंगिक जानकारी देंगे।
- वनाग्नि की घटनाओं से संबंधित जानकारी के लिये हेल्पलाइन नंबर स्थापित किये गए हैं, सभी ज़िलों में अधिकारियों, आम जनता और अन्य विभागों के लिये स्थानीय हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।
- सरकार के निगरानी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे पिछले तीन वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

रूस में भारतीय दूतावास में घुसपैठ करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मॉस्को में नई दिल्ली के राजनयिक मिशन के सुरक्षा सहायक सतेंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है।

- यह पता चला है कि पाकिस्तान की सैन्य जासूसी एजेंसी ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहित रूस के साथ देश के संबंधों के विषय में वर्गीकृत जानकारी प्राप्त करने के लिये मास्को में भारतीय दूतावास में गुप्त सूचना दी थी।

मुख्य बिंदु:

- वह हापुड़ के निवासी थे और विदेश मंत्रालय (MEA) में मल्टीटास्किंग स्टाफ में से एक थे, जो वर्ष 2021 से मास्को में भारतीय दूतावास में सुरक्षा सहायक के रूप में तैनात थे।
  - पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के एजेंट के रूप में उनका एक्सपोज़र भारतीय विदेश सेवा (IFS) के ग्रेड बी अधिकारी माधुरी गुप्ता की गिरफ्तारी के लगभग 14 वर्ष बाद आया था, जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात थे और जासूसी के लिये पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया गया था।
- भारत द्वारा यूक्रेन में रूस के "विशेष सैन्य अभियानों" के खिलाफ आवाज़ उठाने से इंकार करने के बाद मॉस्को के साथ नई दिल्ली के संबंध भी संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष पश्चिम की जाँच के दायरे में हैं तथा पूर्व सोवियत संघ राष्ट्र के साथ कच्चे तेल व सैन्य हार्डवेयर की खरीद जारी रखने के लिये अमेरिकी एवं यूरोपीय प्रतिबंधों की अवहेलना की।

नोट :

- नई दिल्ली के एक राजनयिक मिशन में ISI गुप्तचर का अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन तब हुआ था जब वर्ष 2008 में 26 से 28 नवंबर के बीच लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 के नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें 166 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे।
  - माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात थीं, जब उन्हें ISI एजेंटों ने लालच दिया था, जिन्होंने उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी राजधानी में नई दिल्ली के राजनयिक मिशन से वर्गीकृत जानकारी हासिल करने के लिये किया था।
  - भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे जाँच के घेरे में ले लिया और यह पुष्टि हो गई कि वह ISI के लिये कार्य कर रही थी। उन्हें कुछ आधिकारिक कार्य के लिये नई दिल्ली बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। वर्ष 2021 में उनका निधन हो गया।

यूपी बजट 2024-25: मुख्य बिंदु और प्रमुख घोषणाएँ

चर्चा में क्यों ?

5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये बजट पेश किया।

मुख्य बिंदु:

- कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिये और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिये आवंटित किये गए हैं।
- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।
- कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये तीन योजनाएँ:
  - राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
  - विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षामापी यंत्र की स्थापना के लिये 60 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई।
  - वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही तक कुल 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ हुआ है।
- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- वर्ष 2023-2024 के लिये राज्य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए था जिसमें नई योजनाओं के लिये 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल था।

अनुच्छेद 112

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है तथा अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।

निराश्रित महिला पेंशन योजना

- यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।
- योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

नोट :

उत्तर प्रदेश बजट: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपय आवंटित

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतमबुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- यह घोषणा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए की।
- नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास कार्य चल रहा है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक वाणिज्यिक संचालन के लिये खोलने की योजना है।
- राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये केंद्र की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS-UDAN) और राज्य सरकार की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति के तहत पहल की जा रही है।
- हवाई कनेक्टिविटी के लिये अलीगढ, आज़मगढ़, मोरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट जैसे चुनिंदा हवाई अड्डों का विकास किया गया है। म्योरपुर (सोनभद्र) एवं सरसावा (सहारनपुर) हवाई अड्डों का विकास कार्य प्रगति पर है।
  - अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिये 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
  - हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिये 1,100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान- UDAN)

- इसे वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP)-2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया और यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू की गई थी।
- योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अनुदान (Regional Connectivity Fund- RCF) की व्यवस्था की गई थी।
  - VGF का अर्थ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त या स्थगित अनुदान है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता से कम है।

लखनऊ को 1500 एकड़ की एयरोसिटी मिलेगी

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की कि लखनऊ अपनी एयरोसिटी पाने के लिये पूरी तरह तैयार है। हैदराबाद और दिल्ली के एयरोसिटीज की तरह, यह उन कॉर्पोरेट नेताओं के लिये पसंद का नया गंतव्य होगा, जिनका राज्य भर में कहीं भी व्यवसाय है।

मुख्य बिंदु:

- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे, जो एयरोसिटी के करीब स्थित है, का भी चौड़ीकरण हो रहा है और 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड भी एयरोसिटी के प्रस्तावित स्थान के करीब है।
  - 'एयरोसिटी' नाम इस तथ्य पर आधारित है कि वे सामान्यत: हवाई अड्डों के करीब स्थित होते हैं।
- यह बताया गया है कि हिंदुजा समूह अपना इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्लांट उस स्थान पर स्थापित करने के लिये पूरी तरह तैयार है, जहाँ पहले सरोजिनी नगर में स्कूटर इंडिया प्लांट मौजूद था।
- उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 172 एकड़ में फैली एक एयरोसिटी भी होगी।

नोट :

यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे

चर्चा में क्यों ?

विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर ज़ोर देते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिये तैयार है।

- यूपी सरकार ने बजट 2024-25 के तहत जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से विकास हुआ है।
  - वर्ष 2014 में यूपी में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं जिनमें अयोध्या में नव उद्घाटन महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है।
- मार्च 2024 तक, यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, जिनमें आज़मगढ़, अलीगढ़, मोरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट में एक-एक हवाई अड्डा होगा।

नोट:

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिये खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहाँ पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं (अन्य चार महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी हैं।

यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ सबसे ज़्यादा

चर्चा में क्यों ?

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी 'पंचायती राज संस्थानों का वित्त' शीर्षक से रिपोर्ट भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRI) की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य राजस्व हिस्सेदारी और अंतर-राज्य असमानताएँ:
  - अपने-अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है।
    - उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में, पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 2.5% है, जो राज्यों में सबसे अधिक है।
  - प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व को लेकर राज्यों में व्यापक भिन्नताएँ हैं।
    - केरल और पश्चिम बंगाल क्रमश: 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं।
    - असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था।
    - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिज़ोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व 6 लाख रुपए प्रति पंचायत से काफी कम है।
- RBI की सिफारिशें:
- RBI अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय नेताओं तथा अधिकारियों को सशक्त बनाने का सुझाव देता है। यह पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता और स्थिरता को बढ़ाने के उपायों का समर्थन करता है।

पंचायती राज संस्थान

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण तथा PRI को निधि, कार्यों व पदाधिकारियों का हस्तांतरण किया।

नोट :

- पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं: ग्राम सभा (गाँव या छोटे गाँवों का समूह), पंचायत समितियाँ (ब्लॉक परिषद) और ज़िला परिषद (ज़िला)।
- पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में बनाया गया था।
- यूपी में पंचायतों की संख्या: 59, 062
- यूपी में ब्लॉकों की संख्या: 826
- यूपी में ज़िलों की संख्या: 75

यूपी के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ-साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
  - वाराणसी में बड़े पैमाने पर सौर संयंत्र के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति और मज़बूत होगी।
- अयोध्या में पहले से ही उल्लेखनीय 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त 40 मेगावाट क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और उत्पादन जल्द ही शुरू होने वाला है।
- अयोध्या में सोलर सिटी परियोजना में 2,500 से अधिक सौर-संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना शामिल है, जो स्थिरता के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
  - उत्तर प्रदेश के CM ने अयोध्या में सोलर बोट का उद्घाटन किया।
- अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाएँ जैसे एटीएम और इसके 40 चौराहों पर लगे सोलर ट्री भी हैं, जो शहर के नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने का प्रतीक हैं।
- अब केंद्र वाराणसी है, जहाँ सरकारी भवनों में छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
  - वाराणसी में 25,000 छतों पर सौर संयंत्रों की स्थापना होने की उम्मीद है, जो इसे सौर नवाचार के प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा।

उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) 4.0 में, उत्तर प्रदेश सरकार 14,000 परियोजनाओं को शामिल करने वाले 10 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (MoU) की घोषणा करने के लिये तैयार है, जिससे 33.50 लाख रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु:

- GBC 4.0 के लिये अनुमानित निवेश रोलआउट पिछले तीन ग्राउंडब्रेकिंग समारोहों में लागू किये गए 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संचयी निवेश से पाँच गुना अधिक है।
  - इनमें से 52% से अधिक परियोजनाएँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएंगी, जिसे पश्चिमांचल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।
  - पूर्वांचल क्षेत्र में लगभग 29% MoU को लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य के पूर्वी हिस्से शामिल हैं।
  - मध्यांचल में 14 % और बुन्देलखण्ड में 5 % MoU लागू होंगे।
- इन MoU पर फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में हस्ताक्षर किये गये थे।
- प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, 500 कंपनियों के प्रतिनिधियों, विदेशी निवेशकों, राजदूतों, उच्चायुक्तों और अन्य विशिष्ट अतिथियों सहित लगभग 3000 लोग ग्राउंडब्रेकिंग समारोह 4.0 में भाग लेंगे।

नोट :

पिछला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह

- राज्य में तीन ग्राउंडब्रेकिंग समारोह पहले ही हो चुके हैं, जिससे 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है।
- पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था जिसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1045 MoU पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- पहला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह जुलाई 2018 में हुआ, उसके बाद दूसरा जुलाई 2019 में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: 61,792 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 81 परियोजनाएँ और 67,202 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 290 परियोजनाएँ सफलतापुर्वक लॉन्च हुईं।

उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।

मुख्य बिंदु:

- विधेयक के कानून बनने के बाद ऊर्जा विभाग की मंज़ूरी के बिना लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे।
  - मरम्मत न कराने और मानकों की अनदेखी करने पर मालिक या संबंधित संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  - विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिये पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  - इनका प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकरण कराना होगा, सालाना परीक्षण कराना होगा और इसके लिये 1500 रुपए शुल्क जमा करना होगा।
- उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है।
- महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में लिफ्ट लगाने के लिये अपने कानून हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
  - इसके लागू होने से न सिर्फ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि व्यवस्था भी मज़बूत होगी।

लोकायुक्त

- लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जिसे भारत की प्रत्येक राज्य सरकारों के माध्यम से और उसके लिये निष्पादित किया जाता है।
- यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जाँच करना है।

उत्तर प्रदेश में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री 19 से 21 फरवरी, 2024 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में आयोजित होने वाले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 10.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने के लिये "भूमि पूजन" करेंगे।

मुख्य बिंदु:

- इन परियोजनाओं में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और फिल्म सिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 14,000 से अधिक इकाइयाँ शामिल हैं।
- यह 29 जुलाई, 2018 को लखनऊ में आयोजित पहले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 60,000 करोड़ रुपए से अब 10.11 लाख करोड़ रुपए तक एक बड़ा निवेश होने जा रहा है।
- राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक प्रदर्शनी भी तैयार की है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड के ईटीएच ज्यूरिख विश्वविद्यालय की एक टीम शामिल है।
- फिल्म सिटी परियोजना, जो 1,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 230 एकड़ से अधिक भूमि में स्थापित की जाएगी, राज्य में सबसे आकर्षक निवेशों में से एक है।

नोट :

UPDIC रक्षा उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाना

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC) 24,510.60 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कर रहा है और इसका लक्ष्य 41,667 रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।

मुख्य बिंदु:

- ब्रह्मोस एयरोस्पेस, टाटा टेक्नोलॉजीज़ और अदानी डिफेंस सिस्टम्स जैसी प्रमुख कंपनियों ने कॉरिडोर में निवेश का प्रस्ताव दिया है।
- UPDIC महत्त्वपूर्ण प्रगति करते हुए, बड़े निवेश को आकर्षित कर रहा है और रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिये प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है।
- 3585.85 करोड़ रुपए की 34 निवेश परियोजनाएँ आगामी ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में शामिल होने के लिये तैयार हैं।
  - ये परियोजनाएँ रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़, झाँसी, कानपुर और लखनऊ नोड्स में फैली हुई हैं तथा 8,530 से अधिक रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेंगी।
- यूपी सरकार निवेशकों के लिये अनुकूल माहौल बनाते हुए सभी नोड्स में बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश कर रही है।
  - आईआईटी कानपुर और आईआईटी (BHU) वाराणसी को अनुसंधान करने तथा महत्त्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास अंतराल को भरने के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
- UPDIC राज्य को रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र में बदल रहा है, जो भारत की आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है।
  - इसने अनुकूलित ऋण प्रस्तुत करने और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र में MSME व स्टार्ट-अप की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC)

- यह एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र पर विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में हुआ था।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को विभिन्न अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC@IV) के चौथे संस्करण की मेज़बानी करने वाली है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को लागू करना है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) इस समारोह में 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि के 15% प्रस्तावों को शुरू करने हेतु तैयार है।
- इन मेगा परियोजनाओं में शामिल हैं:
- चंदौली में एकीकृत टाउनशिप: 333 एकड़ को कवर करने वाली 7,000 करोड़ रुपए की एकीकृत टाउनशिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GBC@IV के दौरान करेंगे।

नोट :

- चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विकास: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा एकीकृत टाउनशिप और मॉल के विकास से चंदौली में 12,000 अतिरिक्त रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- विनिर्माण उद्यम: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट और अनीता डिस्टिलरी की परियोजनाएँ सामूहिक रूप से औद्योगिक सामान उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे क्षेत्रों में हज़ारों लोगों के लिये रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेंगी।
- इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से चंदौली, ललितपुर, बस्ती, एटा, बुलंदशहर, अमेठी, मोरादाबाद और झाँसी सहित कई ज़िलों में आर्थिक वृद्धि तथा विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
- नियोजित निवेश 45 ज़िलों में 3,500 से अधिक इकाइयाँ बनाने के लिये तैयार है, जो रोज़गार सृजन और आर्थिक सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
- निवेश के इस विशाल प्रवाह से उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति को बढ़ावा मिलने और भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में योगदान मिलने की उम्मीद है।

पिछला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह

- राज्य में तीन अभूतपूर्व समारोह पहले ही हो चुके हैं, जिससे ₹2.10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया है।
- पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था जिसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1045 MOU पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- पहला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह जुलाई 2018 में हुआ, उसके बाद दूसरा जुलाई 2019 में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: ₹61,792 करोड़ के निवेश के साथ 81 परियोजनाएँ और ₹67,202 करोड़ के निवेश के साथ लगभग 290 परियोजनाएँ सफल लॉन्च हुईं।

हरित उद्योग आधार

चर्चा में क्यों ?

राज्य सरकार 19 फरवरी, 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को 'हरित उद्योग आधार' वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी।

मुख्य बिंदु:

- उद्योग विभाग नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिये अपने सौर, जैव ईंधन, पंप स्टोरेज और EV बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोजेक्ट करेगा।
  - अधिकारियों के मुताबिक, यूपी की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 22.38 गीगावाट (GW) थी जो कई राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।
  - राज्य एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लेकर आ रहा है जिसमें सौर ऊर्जा के उपयोग के लिये लगभग 1,54,000 हेक्टेयर भूमि बैंक है। सरकार ने 3,600 मेगावाट की क्षमता वाले छह सौर पार्कों को स्वीकृति दी है।
- भारत में कुल ईवी का 25% यूपी में उपयोग किया जाता है। राज्य ने पहले ही 450 से अधिक सक्रिय चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क विकसित कर लिया है, जबकि अन्य 100 से अधिक पाइपलाइन में हैं और एक्सप्रेस-वे, सार्वजनिक स्थानों एवं इमारतों के किनारे पहले से ही पहचाने गए स्थान हैं।
  - सात माल ढुलाई स्मार्ट शहरों के लिये ईवी योजना की कवायद चल रही है।
- यूपी ने सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली में 13,250 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है।
- यह ध्यान में रखते हुए कि यूपी अकेले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्ष्य का 1/5 हिस्सा उपभोग कर सकता है, राज्य संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, बायोडीज़ल/इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिये एकल खिड़की अनुमोदन लेकर आया है।

नोट :

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission-NGHM)

नोडल मंत्रालय

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

NGHM के घटक

- **ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिये रणनीतिक क्रियाकलाप (SIGHT)**
- रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी (SHIP) (अनुसंधान एवं विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

GH2 वर्तमान में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है; भारत में वर्तमान लागत लगभग 350-400/किग्रा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का लक्ष्य इसे 100/किग्रा के नीचे लाना है।

उद्देश्य

- ऊर्जा/उद्योग/मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज (कार्बन मुक्त) करना
- स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करना
- GH2 और इसके व्युत्पन्नों के लिये निर्यात के अवसर सृजित करना

वर्ष 2030 तक अपेक्षित परिणाम

- प्रति वर्ष कम-से-कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन (GH2) का उत्पादन
- जीवाश्म ईंधन के आयात में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत
- छह लाख से अधिक रोजगार
- वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी
- ₹ 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश

हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्त्व है लेकिन यह अन्य तत्त्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों (जैसे जल) से अलग किया जाता है।
- अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा (RE) द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी/इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस/विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) बनाया जाता है।

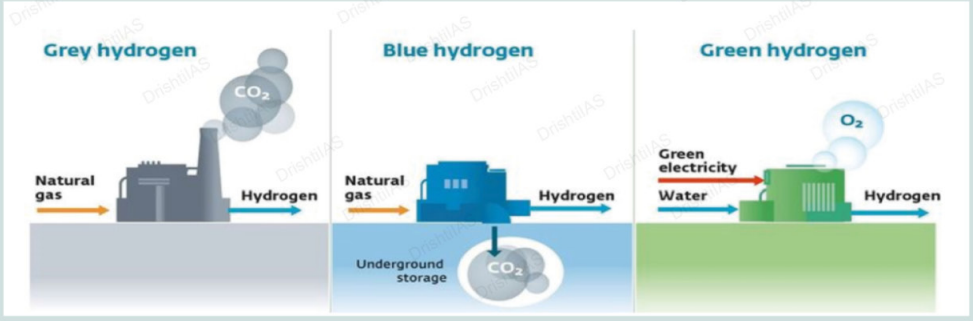

नोट :

प्रधानमंत्री कल्कि धाम मंदिर की नींव रखेंगे

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री संभल ज़िले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे।

मुख्य बिंदु:

- मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
- उद्घाटन कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
- उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (UPGIS 2023) के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
  - ये परियोजनाएँ विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित सेवाओं, खाद्य प्रसंस्करण, आवास तथा रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना

चर्चा में क्यों ?

भारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, तूफान तथा ओलावृष्टि साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तीव्र बर्फबारी होने की संभावना है।

मुख्य बिंदु:

- सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर-पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में अलग-अलग मौसम की स्थिति देखी जाने की उम्मीद है।
- पश्चिमी विक्षोभ के कारण सामान्य मौसम प्रारूप में महत्त्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है तथा समुदायों को इन परिवर्तनों के लिये तैयार रहने की सलाह दी जाती है।
  - अधिकारियों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किसी भी आवश्यक उपाय हेतु तैयार रहने का आग्रह किया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ:

- पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक श्रृंखला है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये 9,000 किमी. से अधिक की दूरी तय करके भारत में पहुँचते हैं। यह उत्तर-पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिये उत्तरदायी है।
  - पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता एकत्र करता है तथा पश्चिमी हिमालय पर्वत से टकराने से पहले ईरान एवं अफगानिस्तान के ऊपर से गुज़रता है।
- जबकि तूफान प्रणाली पूरे वर्ष में मौजूद होती है, वे मुख्य रूप से दिसंबर और अप्रैल के बीच भारत को प्रभावित करते हैं क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रक्षेपवक्र शीत ऋतु के महीनों के दौरान हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है।
  - जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से पूरे वर्ष तिब्बत के पठार और चीन की ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रक्षेपवक्र सूर्य की स्थिति से प्रभावित होता है।
- भारत के लिये महत्त्व:
  - पश्चिमी विक्षोभ हिमपात का प्राथमिक स्रोत है जो शीत ऋतु के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों में वृद्धि करता है।
    - ये ग्लेशियर गंगा, सिंधु और यमुना जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों के साथ-साथ असंख्य पर्वतीय झरनों और नदियों का पोषण करते हैं।
  - ये कम दबाव वाली तूफान प्रणालियाँ भारत में किसानों को रबी फसल उगाने में मदद करती हैं।
- समस्याएँ:
  - पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी-कभी पश्चिमी विक्षोभ बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकते हैं, साथ ही जीवन तथा आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं।

नोट :

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

उत्तर प्रदेश ने ESMA लागू किया

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1968 लागू किया।

- यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा आहूत किसानों की हड़ताल के दौरान आया।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (यूपी अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत, राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये हड़ताल पर रोक लगा दी है।
- अधिनियम पुलिस को प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और एक वर्ष तक की कैद या गैरकानूनी हड़ताल के लिये उकसाने वाले व्यक्ति को ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों का जुर्माना लगा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत पुलिस को उन कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है, जो बिना वारंट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा दे सकते हैं, जो एक वर्ष तक हो सकता है या एक जुर्माना जो 1,000 रुपए तक बढ़ा सकता है या दोनों किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के तहत अवैध था।
- अतीत में, यूपी सरकार ने कोविड-19 महामारी के के दौरान और फिर मई 2021 में छह महीने के लिये हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968

- इसे वर्ष 1968 में कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूची संख्या 33 के तहत भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है।
- इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सेवाएँ हैं:
  - सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएँ आवश्यक हैं।
  - पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इस्पात या उर्वरक के उत्पादन या वितरण में शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को भी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ESMA के अधीन हो सकती है।
  - यह कानून संचार और परिवहन सेवाओं तथा खाद्यान्न के अधिग्रहण एवं वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है।

यूपी को वर्ष 2000-17 की तुलना में 2019-23 में चार गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'यूपी: भारत में विदेशी निवेश के लिये एक उभरता हुआ गंतव्य' सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- सम्मेलन के दौरान सीएम ने बताया कि वर्ष 2000-2017 की तुलना में वर्ष 2019-23 में यूपी को चार गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला।
  - आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य सरकार प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लिये निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
  - पिछले 6-7 वर्षों में राज्य की छवि बदली है। सात वर्ष पहले यूपी देश का बीमारू (BIMARU) राज्य हुआ करता था।
- सीएम के मुताबिक बढ़ा हुआ निवेश बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा है।

नोट :

बीमारू (BIMARU)

- यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप है, जो उन राज्यों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में पिछड़े हुए हैं।
- इन राज्यों की विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढाँचा है।
- ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, जिनमें शामिल हैं:
  - निवेश की कमी: इन राज्यों को ऐतिहासिक रूप से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार से कम निवेश प्राप्त हुआ है। इससे बुनियादी ढाँचे के विकास में कमी आई है, जिससे इन राज्यों में व्यवसायों का संचालन करना मुश्किल हो गया है।
  - खराब शासन: बीमारू राज्य भी खराब शासन से त्रस्त हैं। इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी हुई है। इससे इन राज्यों में व्यवसायों के लिये कार्य करना मुश्किल हो गया है तथा निवेश भी हतोत्साहित हुआ है।
  - उच्च जनसंख्या वृद्धि: बीमारू राज्यों ने भी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का अनुभव किया है। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ा है और इन राज्यों की सरकारों के लिये अपने नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना मुश्किल हो गया है।

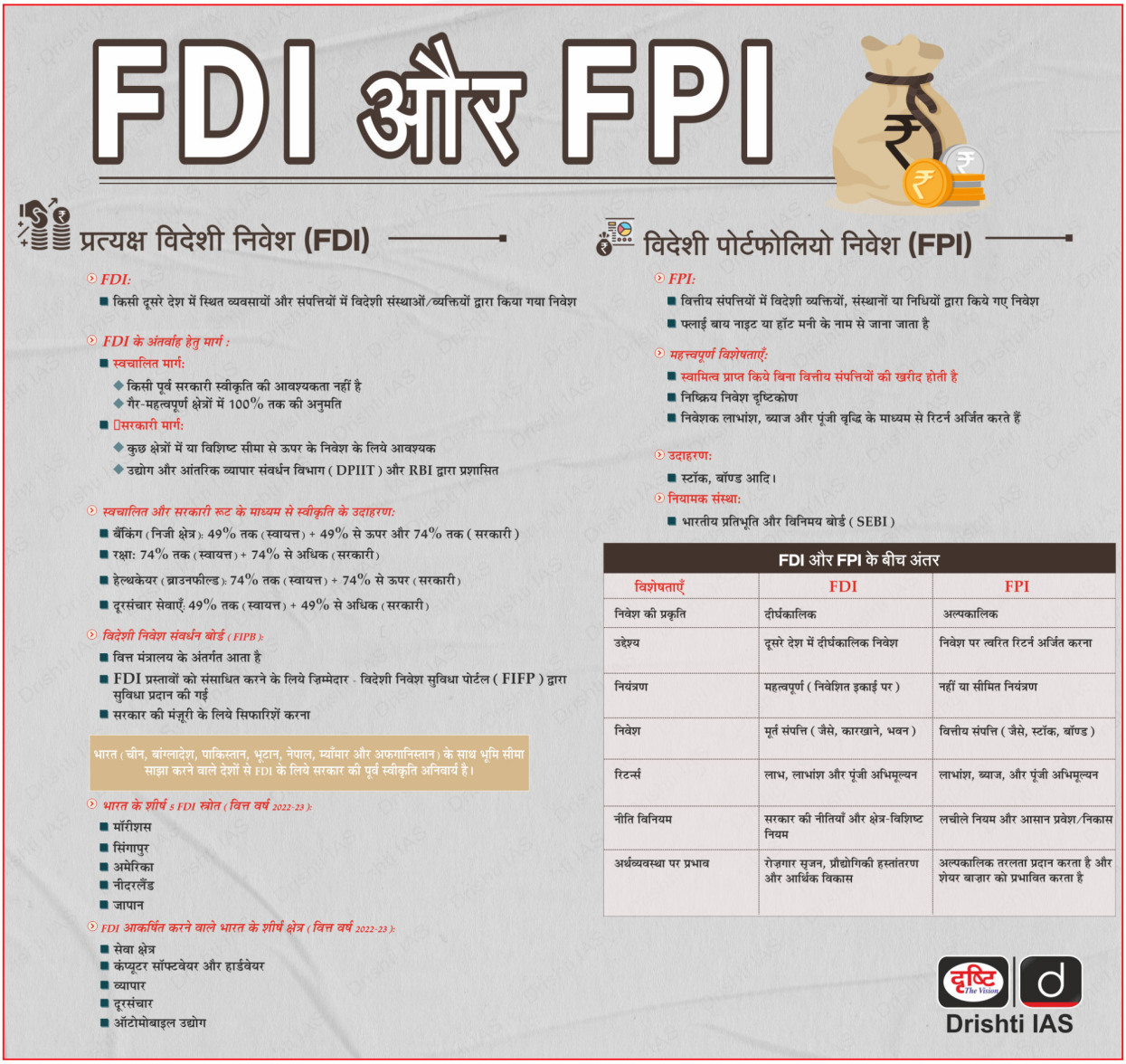

नोट :

आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- प्राथमिकता गलियारे पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन 25 से 28 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये जाने की उम्मीद है।
- जामा मस्जिद स्टेशन, ताज महल से जामा मस्जिद तक छह स्टेशनों के प्राथमिकता गलियारे पर तीसरा और अंतिम भूमिगत मेट्रो स्टेशन था।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी, जब वे भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिये मथुरा आए थे। कैलाश से मथुरा जाते समय शिव इस स्थान पर रुके थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे कृष्ण को अपनी बाहों में पकड़ने में सक्षम होंगे तो वे एक शिवलिंग स्थापित करेंगे।

उत्तर प्रदेश में किसानों की मांगों पर विचार करने हेतु समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई थी।

मुख्य बिंदु:

- नोएडा और ग्रेटर नोएडा गाँवों के किसान पिछले दो महीनों से 64.7 प्रतिशत बढ़े हुए भूमि मुआवज़े, अपने परिवारों के लिये बेहतर पुनर्वास सुविधाओं, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये आवासीय भूखंडों का उपयोग करने की अनुमति, अपने बच्चों के लिये नौकरी तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
- समिति आवश्यक कदम उठाने के लिये किसानों और अन्य हितधारकों के साथ भी चर्चा करेगी।नोएडा और ग्रेटर नोएडा के CEOs किसानों के मुद्दों को संबोधित करने में इस समिति का समर्थन करेंगे। समिति तीन महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिये CSR फंड का उपयोग करेगा

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये राज्य के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) भंडार को बढ़ाने के लिये कॉर्पोरेट्स की ओर रुख करेगी।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश उन शीर्ष पाँच राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा हैं। अन्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कुछ कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अपने औसत मुनाफे का 2% CSR गतिविधियों के लिये आवंटित करने का आदेश देती है।
- राज्य ने CSR फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के योगदान को भी स्वीकार किया है।
  - वर्ष 2014-15 में, यूपी को केवल 148 करोड़ रुपए मिले जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 435 करोड़ रुपए हो गए। वर्ष 2021-22 में, यूपी में 1,321 करोड़ रुपए का CSR खर्च हुआ जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपए हो गया।

नोट :

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में यह दृष्टिकोण निहित है कि कंपनियों को पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का आकलन करना चाहिये और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, साथ ही सकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिये।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के चार मुख्य प्रकार हैं:
  - पर्यावरणीय उत्तरदायित्व
  - नैतिक उत्तरदायित्व
  - परोपकारी उत्तरदायित्व
  - आर्थिक उत्तरदायित्व
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है या उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है।
  - इस अधिनियम में कंपनियों द्वारा एक CSR समिति गठित करना आवश्यक है जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सिफारिश करेगी और समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013

- भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। यह कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने में सक्षम बनाता है, कंपनियों, उनके कार्यकारी निदेशक और सचिवों की ज़िम्मेदारियों को निर्धारित करता है।
- वर्ष 2013 में सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया और एक नया अधिनियम जोड़ा जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 कहा गया।
  - कंपनी अधिनियम, 1956 को आंशिक रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
  - यह एक अधिनियम बन गया और अंततः यह सितंबर 2013 में लागू हुआ।
- वर्ष 2020 में भारत की संसद ने कंपनी अधिनियम में और संशोधन करने तथा विभिन्न अपराधों को कम करने के साथ-साथ देश में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिये कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।
- प्रस्तावित परिवर्तनों में कुछ अपराधों के लिये दंड में कमी के साथ-साथ अधिकारों के मुद्दों के संदर्भ में समय-सीमा, कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय
- याधिकरण (NCLAT) में अलग बेंच की स्थापना भी शामिल है

उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होंगे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर ज़ोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से विकास हुआ है।
  - वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं जिनमें अयोध्या में नव उद्घाटन हवाई अड्डा भी शामिल है।
  - यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, इनमें आज़मगढ़, अलीगढ, मोरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट में एक-एक हवाई अड्डा होगा।

नोट :

- राज्य के बजट 2024-25 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किये।
- प्रस्तावित धनराशि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS-UDAN) और उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन संवर्धन नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS-UDAN)

- यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये शुरू की गई थी।
- यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस्सा है।
- यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- उद्देश्य:
  - भारत के सुदूर और क्षेत्रीय क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना।
  - दूरस्थ क्षेत्रों का विकास और व्यापार एवं वाणिज्य तथा पर्यटन विस्तार को बढ़ाना।
  - आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना।
  - विमानन क्षेत्र में रोज़गार सृजन।

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति

- उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति वर्ष 2017 में शुरू की गई थी।
- इसका इरादा राज्य में इस क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक दिशा प्रदान करना है।
- प्रोत्साहन प्रदान करके RCS के तहत नए मार्गों के विकास के माध्यम से हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना और यूपी के गैर-RCS हवाई अड्डों की इंटर-कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना।
- एयर कार्गो हब और पूर्ति केंद्रों के विकास का समर्थन करके यूपी में कृषि-निर्यात, अन्य खराब होने वाले सामान, विनिर्माण तथा ई-कॉमर्स व्यवसायों को बढ़ावा देना।
- राज्य में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :